

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जैसलमेर

पीठसीन अधिकारी :: दाताराम, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 07/2019

GCMS NO- 2019/00066

सायल

गैर सायल

सरकार जरिए पुलिस अधीक्षक, जिला बनाम श्री जितेन्द्र पुत्र श्री देवराज जाति जीनगर उम्र 30 वर्ष निवासी बबर मगरा, कच्ची बस्ती, पुलिस थाना कोतवाली जिला जैसलमेर

उपस्थिति :-

1. सहायक लोक अभियोजक, श्री खुशाल दैया उपस्थित।
इस्तगासा अन्तर्गत धारा- 3(3) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम-1975

:: आदेश ::

दिनांक:-11.10.2022

1. पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर ने गैर सायल जितेन्द्र पुत्र श्री देवराज जाति जीनगर उम्र 30 वर्ष निवासी बबर मगरा, कच्ची बस्ती, पुलिस थाना कोतवाली जिला जैसलमेर के विरुद्ध धारा-3(3) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत इस्तगासा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गैर सायल के विरुद्ध थाना कोतवाली जैसलमेर में मुकदमा संख्या 405/ 05.11.2015, मुकदमा संख्या 122/ 09.04.2018 व 58/ 05.05.2018 अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ दर्ज है। गैर सायल आले दर्जे का जुआरी है, जो पर्चीयों पर खाईवाल कर बार-बार जुआ खेलने का अभ्यस्त अपराधी हो गया है तथा यह शख्स भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 के केन्द्रिय नियम 45) के अध्याय 16 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध करने का अभ्यस्त है। इस शख्स की वारदातों से थाना क्षेत्र व जिला क्षेत्र की जनता पर सम्पति संत्रास खतरा है तथा पुलिस थाना कोतवाली व जिला की भोली भाली जनता व गरीब जनता को गलत आचरणों में फंसा कर नियमित अपराध कारित करता जा रहा है। जिसका बिना प्रतिभूति के स्वच्छंद रहना समाज के लिये परिसंकटमय है। अपराधी जितेन्द्र पुत्र श्री देवराज जाति जीनगर उम्र 30 वर्ष निवासी बबर मगरा, कच्ची बस्ती, पुलिस थाना कोतवाली जिला जैसलमेर द्वारा उक्त सभी प्रकरणों में श्रीमान् अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जैसलमेर द्वारा दण्डित किया गया है। उक्त शख्स का ऐसे दुस्साहसपूर्ण अपराधों में अभ्यस्त होने से जनता में भय पैदा हो गया है। अभ्यस्त अपराधी (गुण्डा) जितेन्द्र पुत्र श्री देवराज जाति जीनगर उम्र 30 वर्ष निवासी बबर मगरा, कच्ची बस्ती, पुलिस थाना कोतवाली जिला जैसलमेर का उक्त कृत्य राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(3) के प्रावधानों की परिधि में आता है। अतः इस्तगासा हाजा वरखिलाफ अभ्यस्त अपराधी (गुण्डा) जितेन्द्र पुत्र श्री देवराज जाति जीनगर उम्र 30 वर्ष निवासी बबर मगरा, कच्ची बस्ती, पुलिस थाना कोतवाली जिला जैसलमेर के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त हालातों में गैर सायल की गतिविधियों पर नियन्त्रण के लिये इस्तगासा हाजा वरखिलाफ गैरसायल जितेन्द्र अन्तर्गत धारा 3(3) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के अन्तर्गत पेश कर निवेदन किया गया है कि गैरसायल को गुण्डा घोषित कर जिला जैसलमेर से निष्कासित किया जावे।
2. पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर की ओर से प्रस्तुत इस्तगासा दर्ज किया जाकर जरिए सम्मन गैर सायल को तलब किया गया। गैर सायल को सम्मन तामील हुआ व जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुआ। तत्पश्चात पत्रावली तारीखों पर चलती रही। इस पत्रावली को दर्ज होने के पश्चात 2 वर्ष की अवधि हो चुकी है। अतः पत्रावली निर्णय हेतु रखी गई एवं आज दिनांक को अधिवक्ता को बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि गैर सायल हमारे सम्पर्क में नहीं हैं। चूंकि प्रकरण काफी पुराना है व पुलिस अधीक्षक जैसलमेर की ओर से गैर सायल के विरुद्ध अन्य कोई शिकायत पत्रावली पर नहीं आई है। अतः प्रकरण में प्रार्थी पक्ष को सुना गया। एवं प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारण करना उचित प्रतीत होता है।

11/10/22


पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा में अंकित किया है गैर सायल के विरुद्ध तीन मुकदमें दर्ज है तीनों मुकदमों का विवरण निम्नानुसार है।

- दिनांक 05.11.2015 को श्री अचलाराम मुआ मय जाब्ता द्वारा मुखबीर ईत्तला पर कस्बा कोतवाली में मुल्जिम जितेन्द्र को जुआ की पर्चीया काटते हुए को मय जुआ की नगद राशि व जुआ आसियान के रंगे हाथों दस्तयाब कर जुआ सामग्री बरामद कर गिरफ्तार कर मुकदमा संख्या 405 दिनांक 05.11.2015 धारा 13 आरपीजीओ पुलिस थाना कोतवाली में दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान मुल्जिम के विरुद्ध चार्जशीट संख्या 270 दिनांक 30.10.2015 कता की जाकर पेश अदालत किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 02.02.2016 को 100/-रूपये अर्थदण्ड के जुर्माने से दण्डित किया गया है।
- दिनांक 9.4.18 को श्री देवेन्द्रसिंह मुआ 14 मय जाब्ता द्वारा मुखबीर ईत्तला पर कस्बा कोतवाली जैसलमेर में मुल्जिम जितेन्द्र को जुआ की पर्चीया काटते हुए को मय जुआ की नगद राशि व जुआ आसियान के रंगे हाथों दस्तयाब कर जुआ सामग्री बरामद कर गिरफ्तार कर मुकदमा संख्या 122 दिनांक 09.04.18 धारा 13 आरपीजीओ पुलिस थाना कोतवाली में दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान मुल्जिम के विरुद्ध चार्जशीट संख्या 78 दिनांक 05.05.2018 कता की जाकर पेश अदालत किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 25.05.2018 को 100/-रूपये अर्थदण्ड के जुर्माने से दण्डित किया गया है।
- दिनांक 14.02.2019 को श्री किरणकुमार उनि0 मय जाब्ता द्वारा मुखबीर ईत्तला पर कस्बा जैसलमेर में मुल्जिम जितेन्द्र को जुआ की पर्चीया काटते हुए को मय जुआ की नगद राशि व जुआ आसियान के रंगे हाथों दस्तयाब कर जुआ सामग्री बरामद कर गिरफ्तार कर मुकदमा संख्या 58 दिनांक 14.02.2019 धारा 13 आरपीजीओ पुलिस थाना कोतवाली में दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान मुल्जिम के विरुद्ध चार्जशीट संख्या 28 दिनांक 28.02.2019 कता की जाकर पेश अदालत किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 14.03.2019 को 100/-रूपये अर्थदण्ड के जुर्माने से दण्डित किया गया है।

उक्त मुकदमों के विवरण से स्पष्ट है कि इस्तगासा प्रस्तुत करने की दिनांक 05.11.2019 से पिछले छः माह की अवधि में गैर सायल के विरुद्ध कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। सबसे अंतिम मुकदमा दिनांक 28.02.2019 का है जिसका निर्णय दिनांक 14.03.2019 को हुआ है। इससे पूर्व के दो मुकदमों वर्ष 2015 व वर्ष 2018 के हैं। इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि इस्तगासा दर्ज करने की दिनांक से पूर्व छः माह की अवधि में कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। और जो मुकदमें दर्ज है धारा 13 आरपीजीओ के हैं जिनमें माननीय न्यायालय द्वारा मात्र 100 रूपये से दण्डित किया गया है।

राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 में कार्यवाही करने के लिए इस्तगासा प्रस्तुत करने की दिनांक से 6 माह पूर्व की अवधि के भीतर अपराध कारित किया जाता आवश्यक है। इस प्रकरण में इस्तगासा प्रस्तुत करने की दिनांक अर्थात् 05.11.2019 से पूर्व दिनांक 28.02.2019 को अपराध करना प्रमाणित हुआ था उसके पश्चात कोई अपराध नहीं किया जाना पाया गया है। इसके अलावा प्रकरण इस न्यायालय में दर्ज होने की दिनांक से अब तक लगभग 2 वर्ष 11 माह की अवधि में भी कोई प्रकरण दर्ज होना पत्रावली से ज्ञात नहीं होता है। अतः गैर सायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत कार्यवाही किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रस्तुत इस्तगासा खारिज किया जाता वर्तमान परिस्थितियों में यदि आवश्यक हो तो पुलिस अधीक्षक जैसलमेर नए सिरे से इस्तगासा प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र रहेगे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नंबर से कम हो। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर, पुलिस थाना, कोतवाली जैसलमेर व गैर सायल को दी जावे।

आदेश आज दिनांक 11.10.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


11/10/22
(दाताराम)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जैसलमेर